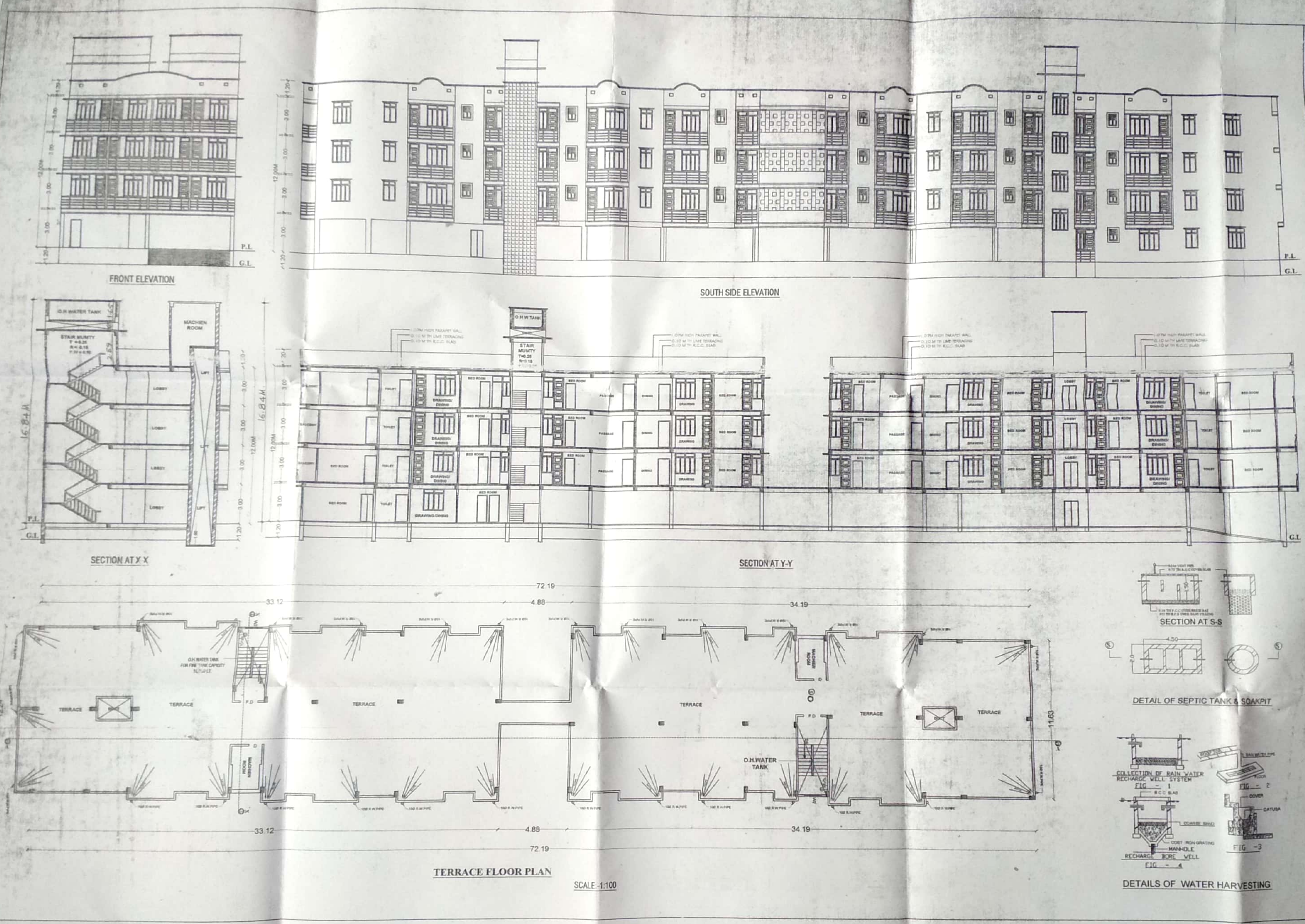

SPECIFICATION

1. R.C.C UNDER REMMED PILE FOUNDATION AS PER DETAIL GIVEN IN THE DRAWING
2. IST CLASS BRICK WORK IN CEMENT MORTER(1:6) IN SUPER STRUCTURE
3. HEIGHT OF PLINTH FLOOR ARE AS SHOWN IN SECTION
4. 0.05 I.P.S. FLOORING OVER 0.075 DRY REMMED KHOA OVER FLAT BRICK SOLING OVER LOCAL SAND FILLING
5. 0.050 TH D.P.C. ON P.L. ALL ROUND THE BUILDING
6. 0.110 TH LIME CONCRETE OVER 0.100TH R.C.C. SLAB
7. 0.15 TH R.C.C. BAND AT DOORS & WINDOWS OPENINGS
8. 0.12 CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF WALL
9. WHITE & COLOUR WASH AS PER CHOICE

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING
FOR M/S LAVIN VASTU DEVELOPERS PVT.LTD
DIRECTOR - SRI RAVI KUMAR SINHA AT
MAUZA- DANAPUR SAHZADPUR,
THANA NO -21 , TAUZI NO- 5408,
KHATA NO-477, PLOT NO-976 (P)
GOLA ROAD, DANAPUR, PATNA

NORTH	SCALE 1:100 1:200	SHEET NO. 02/02

Lavin Vastu Developers Pvt. Ltd.
Director

SIGN. OF OWNER

Er. Vijay Kumar
Structure Engineer
Lic-No-01/STRE/2015/NPDN

SIGN. OF STRUCTURE

Pradeep Kumar Sinha
(Registered Architect)
Regd. No.-CA/90/12804
Council of Architecture

SIGN. OF ARCHITECT

A. E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

Building Plan No. 70/19-2[illegible]

बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 (RERA) की शर्तों के अधीन [illegible] भू-सम्पदा प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

निम्नलिखित शर्तों के साथ तकनीकी [illegible] के आधार पर भवन मानचित्र की स्वीकृति [illegible] सरकारी या किसी दूसरे के अधीन [illegible] करना होगा तथा पथ एवं सड़क [illegible] उपविधि 2014 के अनुसार [illegible] होगा। भवन भू-स्वामी [illegible] भवन से सरकारी [illegible] शर्तों से नाली [illegible] बरसाती पानी नाली के लिए [illegible] होगा। भवन भू-स्वामी [illegible] भवन मानचित्र [illegible] खड़े किये गये [illegible] मानचित्र की स्वीकृति [illegible] होगी। भवन में आवासित होने के पूर्व [illegible] Certificate/Occupancy Certific[illegible] अनिवार्य होगा।

J. E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

नगर कार्यपालक [illegible]
नगर परिषद [illegible]

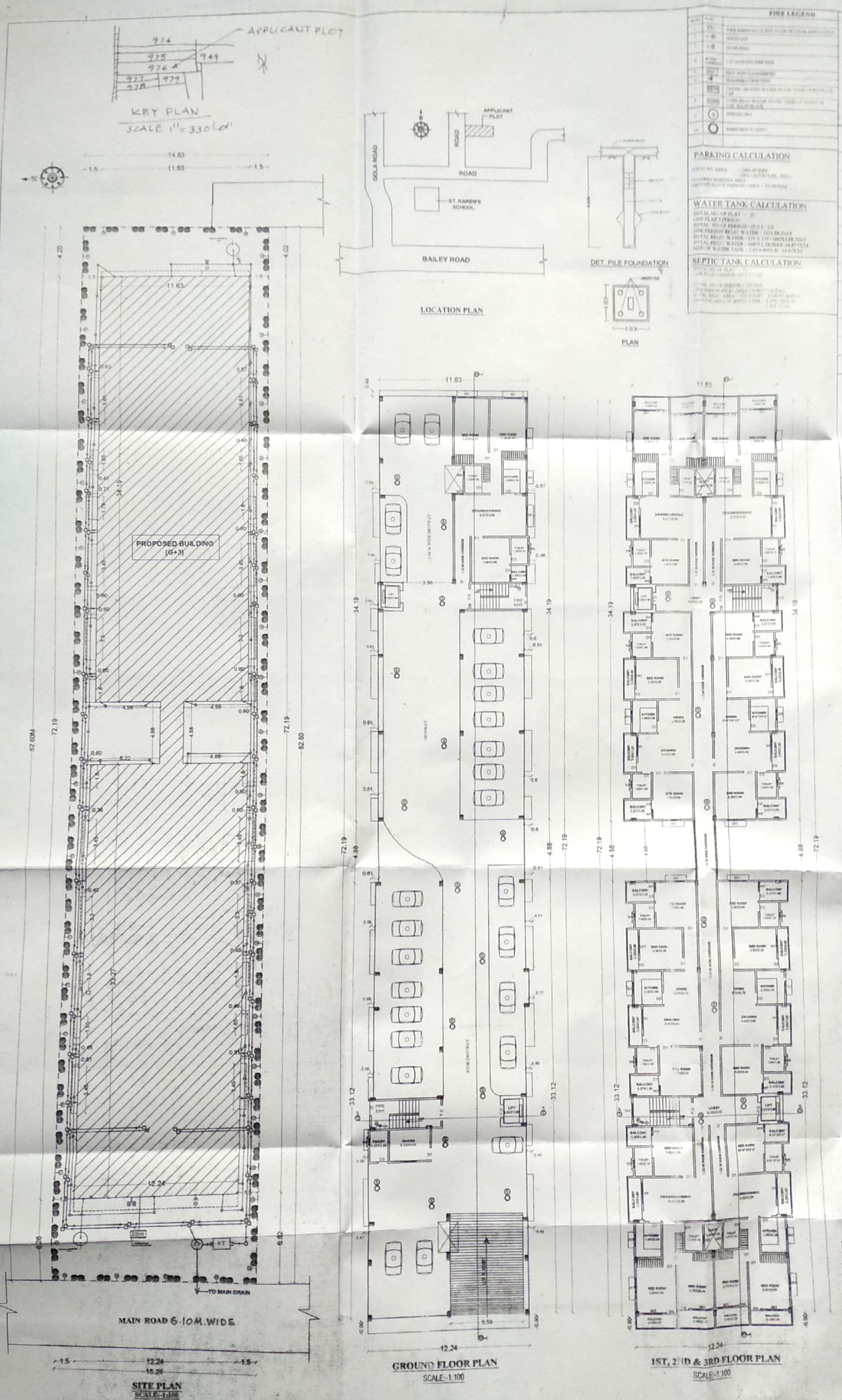

SPECIFICATION

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

SL NO	TYPE	WIDTH	SILL	HEIGHT
1	F D	1.00	0.00	2.13
2	D	1.07	0.00	2.13
3	D1	0.91	0.00	2.13
4	D2	0.83	0.00	2.13
5	D3	0.76	0.00	2.13
6	W	1.68	0.91	2.13
7	W1	1.52	0.91	2.13
8	W2	1.37	0.91	2.13
9	W3	1.22	0.91	2.13
10	W4	0.79	0.91	2.13
11	W5	0.46	1.67	2.13

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA AS DEED	= 1234.739 SQM
TOTAL PLOT AREA AS SITE	= 1234.739 SQM
GROUND FLOOR B/U AREA	= 141.47 SQM
+ (PARKING)	= 700.00 SQM
FIRST FLOOR B/U AREA	= 776.00 SQM
2ND FLOOR B/U AREA	= 776.00 SQM
3RD FLOOR B/U AREA	= 776.00 SQM
TOTAL B/U AREA	= [illegible] SQM
F.A.R.	2.0 (PROPOSED)
F.A.R.	2.0 (PERMISSIBLE)

WATER HARVESTING CALCULATION

100 SQM- 6 CUM REQURED
776.00/ 100 = 7.76X6 = 46.56

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING
FOR M/S LAVIN VASTU DEVELOPERS PVT LTD
DIRECTOR - SRI RAVI KUMAR SINHA AT
MAUZA- DANAPUR SAHZADPUR,
THANA NO -21 , TAUZI NO- 5408,
KHATA NO-477, PLOT NO-976 (P)
GOLA ROAD, DANAPUR, PATNA

NORTH	SCALE	SHEET NO.-
	1:100 1:200	01/02

Er. Vijay Kumar
Structure Engineer
Lic-No-01/STRE/2015/NPDN

SIGN. OF STRUCTURE

Lavin Vastu Developers Pvt. Ltd.
Director

SIGN. OF OWNER

Pradeep Kumar Sinha
(Registered Architect)
Regd. No.-CA/90/12804
Council of Architecture
14/08/2019

SIGN. OF ARCHITECT

9.09.19
A. E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

Building Plan No. 70/19-20

Scanned by CamScanner

फारम-VIII - क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 108 तिथि- 29.08.2019 के संदर्भ में

मेसर्स लेविन वास्तु डेभलपर्स प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री रवि कुमार सिन्हा, पिता-श्री सिताराम लाल, पता-मकान सं0-170, गाभतल अखाड़ा के पश्चिम, थाना-दानापुर, पो0-दानापुर, जिला-पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिर्वतन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के ..108.. **प्लौट नं0- 976(P), खाता नं0- 477, तौजी नं0-5408, थाना नं0- 21, मौजा- दानापुर शहजादपुर, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना** के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-.......70......**/19-20** है, जिसका **निर्माण क्षेत्रफल 2469.47 वर्ग मीटर** एवं **G+3** की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **700.00** वर्ग मीटर का पार्किग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **6.10 मी0** चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में **0.00 वर्ग मीटर** चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

Scanned by CamScanner

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रृटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules),2016 का अनुपालन किया जाय।

(ट) **अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017** के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(ण) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

ह0/-
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः- ......70...../दिनांकः- ....22/9/2019.
प्रतिलिपिः- मेसर्स लेविन वास्तु डेभलपर्स प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री रवि कुमार सिन्हा, पिता-श्री सिताराम लाल, पता-मकान सं0-170, गाभतल अखाड़ा के पश्चिम, थाना-दानापुर, पो0-दानापुर, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

Scanned by CamScanner